

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलेक्टर, टोंक

प्रकरण संख्या

51 / 2022

श्री सेतराम चौधरी एडवोकेट, जिला अदालत परिसर टोंक

--अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं नायब तहसीलदार बनेडा जिला टोंक --प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक 23.01.2023


प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं नायब तहसीलदार बनेडा को आवेदन पत्र दिनांक 16.07.2022 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई:-

भूमि आराजी खसरा नम्बर 1006 वाके ग्राम रूपपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक राज0 में स्थित है, जिसका हल्का पटवारी गिरदावर व अन्य राजस्व अधिकारियों द्वारा माह जून 2022 में सीमाज्ञान या पत्थरगडी की गई थी या नहीं, यदि की गई थी तो वो किस दिनांक को की गई तथा मौके पर सीमाज्ञान या पत्थरगडी करते समय कौन कौन व्यक्ति वहां उपस्थित थे, क्या मौका रिपोर्ट बनाई गई तथा मौके पर उक्त खसरा नम्बर की क्या स्थिति पाई गई, क्या पूर्व में खसरा नम्बर 1006 की सीमाएं निश्चित थी, मेड पड़ी हुई थी, खम्बे खड़े हुए थे या नहीं तथा क्या राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों को उक्त खसरा नम्बर 1006 वाके ग्राम रूपपुरा के सम्बन्ध में किसी सक्षम न्यायालय की डिकी की पालना में उसके खातेदार को कब्जा संभलाया गया था या नहीं। आस-पड़ोस के खेत वालों को बुलाया गया था, या नहीं। इन सब की सूचना मय दस्तावेजी अभिलेख के प्रार्थी को उपलब्ध करवाई जाये।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं नायब तहसीलदार बनेडा को पत्र क्रमांक 1685 दिनांक 8.12.2022, 1719 दिनांक 19.12.2022, 02 दिनांक 02.01.2023 व 58 दिनांक 16.01.2023 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्त उपस्थित नहीं हुए। लोक सूचना अधिकारी एवं नायब तहसीलदार बनेडा द्वारा आज दिनांक तक कोई जवाब प्रेषित नहीं किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना उपलब्ध कराने की अवधि 30 दिवस निर्धारित की हुई है। अतः अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं नायब तहसीलदार बनेडा को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित सूचना/सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 20 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावे। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं नायब तहसीलदार बनेडा तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।




(चिन्मयी गोपाल)
प्रथम अपील अधिकारी
जिला कलेक्टर
एवं जिला कलेक्टर टोंक